न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : लक्ष्मीकान्त कटारा , आर.ए.एस.

जी.सी.एम.एस. नम्बर – 2015/00093

वाद संख्या :– 111/2015

रामज्योति पत्नी लादूराम ब्राह्मण निवासी ग्राम धोला तहसील जमवारामढ जिला जयपुर।

– – –प्रार्थीयां

बनाम

1. काना पुत्र पालूराम जाति अहीर
2. बाबूलाल पुत्र गोपाल जाति अहीर
3. मुरलीधर पुत्र गोपाल जाति अहीर
4. सीताराम पुत्र गोपाल जाति अहीर
5. रामचन्द्र पुत्र गोपाल जाति अहीर
6. मुरारीलाल पुत्र सत्यनारायण
7. ओमप्रकाश पुत्र सत्यनारायण
8. मिश्री देवी पत्नी सत्यनारायण

   समस्त जाति महाजन निवासी ग्राम बीलपुर तहसील आमेर जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

– – –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये

निर्णय दिनांक :–12.11.2020

संक्षेप में प्रार्थीयां ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के तहत इस प्रकार का पेश किया है कि प्रार्थीयां की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 323 रकबा 1.33 है0 वाके ग्राम बीलपुर तहसील आमेर जिला जयपुर में हैं। उक्त भूमि में आन–जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 325, 324, 326 व 328 व ख0नं0 3[illegible] में रास्ता चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गयी। अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 नोटिस तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं हुये। तहसीलदार आमेर से प्रार्थना–पत्र पर जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। जो उनके पत्रांक/आर.ए./18/कैम्प/31 दिनांक 28.06.18 के द्वारा इस आशय की प्राप्त हुई है कि ग्राम बीलपुर के आराजी ख0नं0 324, 326 किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 की खातेदारी कालूराम पुत्र पालूराम जाति अहीर के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

उपरोक्त दोनों खसरों नम्बरान में मौके पर बबुल के घने पेड लगे हुये है जो काफी पुराने है। आराजी ख0नं0 325, 328 किता 2 रकबा 0.62 है0 की खातेदारी बाबूलाल, मुरलीधर, सीताराम, रामचन्द्र पुत्रान गोपाल अहीर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरान में मौके पर आंवले, नींबू, केरूंजा के घने पेड है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बरों में रास्ता चाहने का आवेदन किया है। जो सुविधानुसार रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। क्योंकि उपरोक्त खसरा नम्बरों में काफी हरे पेड काटे जाने पर ही रास्ता दिया जाना संभव है।

यह है कि मौके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 319 खाली पडा है तथा कोई पेड़ स्थायी संरचना नहीं है। मौके के अनुसार खसरा नम्बर 324, 325, 326, 328 में जितनी ही दूरी है उतनी ही दूरी प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 319 रकबा 0.72 है0 की खातेदारी मुरारीलाल, ओमप्रकाश पिता सत्यनारायण मु. मिश्री धर्मपत्नी सत्यनारायण राहिन राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा चन्दवाजी मुर्तहीन के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है मौकानुसार खसरा नम्बर 319 में 88 x 4 = 352 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के वास्ते बनती है।

प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 323 में मौकानुसार आने-जाने के लिए कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं है। सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी को खसरा नम्बर 319 में से रास्ता दिया जाना उचित होगा। प्रस्तावित नक्शा एवं प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता का रकबा व दूरी समान है।

तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीयां अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का दिनांक 13.07. 2018 को पेश कर आराजी ख0नं0 319 रकबा 0.72 है0 भूमि के खातेदार ओमप्रकाश, मुरारीलाल पिता सत्यनारायण मु. मिश्री पत्नी सत्यनारायण महाजन निवासीगण ग्राम बीलपुर तहसील आमेर को पक्षकार बनाने का निवेदन किया है। प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. को दिनांक 26.3.19 को स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थीगण ओमप्रकाश, मुरारीलाल पुत्रान सत्यनारायण महाजन निवासी ग्राम बीलपुर तहसील आमेर को पक्षकार सं0 6, 7, 8 बनाया गया। प्रार्थीयां ने संशोधित उनवान दिनांक 26.4.19 को पेश किया तथा अप्रार्थी नं0 6, 7, 8 की तलवी रजिस्टर्ड नोटिस से की गयी। रजिस्टर्ड नोटिस जारी होने के बावजूद अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 20. 6.19 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीयां अभिभाषक की एक पक्षीय बहस दिनांक 11.11.2020 को सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीयां अधिवक्ता ने दौराने बहस तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के मुताबिक आराजी ख0नं0 319 रकबा 0.72 है0 भूमि में से प्रार्थीयां की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0

323 रकबा 1.33 है0 में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया है। तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थीयां की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 323 रकबा 1.33 है0 में आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण ओमप्रकाश, मुरारीलाल पिता सत्यनारायण मु. मिश्री पत्नी सत्यनारायण महाजन की खातेदारी कृषि भूमि ख0नं0 319 रकबा 0.72 है0 में से रकबा 88 x 4 = 352 वर्ग मीटर भूमि का रास्ता दिया जाना उचित माना है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 323 में आवागमन हेतु भूमि ख. नं. 324, 325, 326, 328, 329 में से अपेक्षित रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा अपेक्षित मार्ग हेतु आत्यंतिक आवश्यकता प्रकट नहीं की गई है न ही यह स्पष्ट किया गया है कि कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है तथा तहसीलदार रिपोर्ट में भी जो रास्ता प्रस्तावित किया है वह स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वह निकटतम रास्ता नहीं है न ही प्रार्थी द्वारा इसकी मॉग की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित मानते है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मीकान्त कटारा)
उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Katara
Date: 2021.01.22 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested